बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/विविध स्पष्टीकरण (अररिया) 07–98/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........

श्री कृत्यानंद राम, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, अररिया सदर, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–2140 (15), दिनांक–13.12.2023 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में इनके द्वारा स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित नहीं किया गया।

2. उपरोक्त आरोपों के आलोक में विभाग स्तर पर आरोप पत्र का गठन कर विभागीय पत्रांक–178 (15) दिनांक–11.02.2025 द्वारा श्री राम से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक–15.03.2025 विभाग में समर्पित किया गया।

3. विभाग स्तर पर गठित आरोप पत्र एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त् ऑनलाईन दाखिल–खारिज के कतिपय मामलों (कुल–241) को एक बार अस्वीकृत करने के पश्चात् उसी दस्तावेज पर पुनः स्वीकृत करने संबंधी आरोपों के संदर्भ में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (B) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1157(15) दिनांक–07.07.2025 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें अपर समाहर्त्ता, अररिया को संचालन पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया सदर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1157(15) दिनांक–07.07.2025 द्वारा श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन/अधिगम अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–3709/रा० दिनांक–26.12.2025 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

5. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/अधिगम के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत **"पेंशन राशि का 05 (पाँच) प्रतिशत (03) तीन वर्षों के लिए कटौती का दण्ड"** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कृत्यानंद राम, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, अररिया सदर, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत (31.01.2025) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत **"पेंशन राशि का 05 (पाँच) प्रतिशत (03) तीन वर्षों के लिए कटौती का दण्ड"** आदेश निर्गत की तिथि से अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\ashish 2026\Dand order sankalp\krityanand ram CO araria sadar.doc

निबंधित/
ई-मेल

ज्ञापांक-**15/विविध स्पष्टीकरण (अररिया) 07-98/2023**-....................(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, अररिया एवं दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, अररिया एवं दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्री कृत्यानंद राम, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, अररिया सदर, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत, **पता-ग्राम-लहसनगंज, थाना-फॉरबीसगंज, जिला-पूर्णियाँ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-**15/विविध स्पष्टीकरण (अररिया) 07-98/2023**-596......(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-22/04/2024

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदधिकारी प्रशाखा-3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री राम के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा-15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

21/4/24

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\ashish 2026\Dand order sankalp\krityanand ram CO araria sadar.doc

4